पत्रांक–02 / यो0–5007 / 2025–
बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण (नियोजन), बिहार, पटना।

प्रेषक,

शंकर दयाल,
सरकार के उप सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले0 एवं ह0)
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना, 01 दिनांक–

विषय– उपशीर्ष–0110 "**नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस**" अन्तर्गत मशीनें एवं उपस्कर–कार्यालय (52 01) मद में उपबंधित राशि ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र के चालू स्कीम का वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वित्त विभाग के बिहार विनियोग (संख्या–3) अधिनियम 2025 पत्रांक–संख्या–ब–15 / बी०एस०जी०–106 / 2025–600 / वि० दिनांक–06.08.2025 तदनुसार तत्कालीन प्रशासी विभाग (श्रम संसाधन) के ज्ञापांक–2646 दिनांक–08.08.2025 द्वारा प्राप्त शक्तियों के अन्तर्गत उपशीर्ष–0110"**नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस**" अन्तर्गत सभी उप निदेशक (नियोजन) / सभी अवर प्रादेशिक नियोजनालय / सभी जिला नियोजनालय / मुख्यालय / विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना एवं विश्वविद्यालय नियोजन सूचना एवं मार्गदर्शन केन्द्रों सहित के कार्यालयों में कम्प्यूटर उपकरण सभी सेट के साथ, फोटो स्टेट मशीन, पदाधिकारियों को विभागीय लैपटॉप एवं अन्य आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय पर होने वाले व्यय हेतु ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र के चालू स्कीम का वित्तीय वर्ष 2025–26 में व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की जाती है :–

2. ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र उपबंधित राशि का क्षेत्रीय / मुख्यालय के कार्यालयों में आवश्यकता आधारित मांग होने के फलस्वरूप कम्प्यूटर उपकरण सभी सेट के साथ, फोटो स्टेट मशीन, पदाधिकारियों को विभागीय लैपटॉप एवं अन्य आवश्यकतानुसार उपकरणों का क्रय नियमानुसार किया जायेगा।

3. इस स्कीम के अन्तर्गत व्यय मुख्य शीर्ष 2230 श्रम, रोजगार एवं कौशल विकास, उप मुख्य शीर्ष–02, रोजगार सेवाएं, लघु शीर्ष–101, रोजगार सेवाएं, समुह शीर्ष–राज्य स्कीम, उप शीर्ष–0110–नियोजन सेवा हेतु ई0 प्रोसेस विपत्र कोड–26–2230021010110 मांग संख्या–26 के कंडिका–2 हेतु विषय शीर्ष–0110.52.01 मशीनें एवं उपस्कर मद में उपबंधित राशि कुल ₹1,00,00,000 (एक करोड़) मात्र विकलनीय होगा।

4. यह चालू स्कीम है, जिसकी स्वीकृति गत वित्तीय वर्ष 2024–25 में राज्यादेश संख्या–906 दिनांक–19.06.2024 एवं राज्यादेश संख्या–38 दिनांक–10.01.2025 एवं वित्तीय वर्ष 2025–26 में राज्यादेश संख्या–488 दिनांक–09.05.2025 के द्वारा दी गयी है।

5. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सभी उप निदेशक (नियोजन) / सभी सहायक निदेशक (नियोजन), विकलांगों के लिए विशेष नियोजनालय सहित / जिला नियोजन पदाधिकारी / नियोजन पदाधिकारी एवं निदेशालय नियोजन (मुख्यालय), बिहार, पटना के लिए निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

6. उक्त स्कीम अन्तर्गत राशि का आवंटनादेश निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा वित्त विभागीय संकल्प सं०–2561 दिनांक–17.04.1998 एवं समेकित वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (C.F.M.S) के तहत निर्गत एवं व्यय किया जायेगा।

7. इस स्कीम हेतु आवश्यक उद्व्यय एवं बजट उपबंध है।

8. उक्त में आंतरिक वित्तीय सलाहकार का सहमति प्राप्त है।

9. उक्त में सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन पर प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(शंकर दयाल)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02/यो0–5007/2025– पटना, 01 दिनांक–

प्रतिलिपि–सभी उप निदेशक (नियोजन)/सभी सहायक निदेशक (नियोजन)/सभी जिला नियोजन पदाधिकारी/नियोजन पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, निदेशालय नियोजन, (मुख्यालय)/विकलागों के लिए विशेष नियोजनालय, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/लेखा शाखा/क्रय शाखा (मुख्यालय) पटना को (दो प्रतियों) सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित।

ह0/–
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–02/यो0–5007/2025– 85 पटना, 01 दिनांक–20/1/2026

प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के आप्त सचिव/सचिव, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग के सचिव/निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण, के आप्त सचिव/वित्त विभाग (बजट शाखा)/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

S. Aeyar 19/01/26
सरकार के उप सचिव